HPFD-F05/288/2025-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः
नोड़ल आफिसर एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः
उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि वालिक खण्ड, लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक ि ामला–1

विषयः **Diversion of 50.091 ha. of forest land in favour ITBP Floor 03 Block 02, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi for the construction of Dubling-Rishi Dogri-Lamche Dogri road within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division, Distt. Kinnaur, HP. (Online Proposal No. FP/HP/Road/145666/2021)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या FC/HPC/06/54/2022 दिनांक 28/03/2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

2ण परियोजना के लिए आव यक गैर–वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण के सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3ण **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध–रोपण किया जाएगा। इसकी लागत रा ाी कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेद ाी प्रजातियों को लगाया जाएगा। सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि को अतिम स्वीकृति से पूर्व वन विभाग के नाम किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) सी0ए0 क्षेत्र की सही जानकारी वनमण्डलाधिकारी के पत्र में द ार्ाई गई है।

(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) प्रतिपूरक वनीकरण योजना हेतू आव यक धनरा ाी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गई है।

4ण **भ्गुद्व वर्तमान मूल्यः**

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दि ाा निर्दे ाों के अनुसार भ्गुद्व वर्तमान मूल्य की रा ाी Adhoc CAMPA में जमा करवा दी गई है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) ुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनरा ि ा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

5ण SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area has been uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects

6ण The amount of SMCP has been deposited by the user agency in view of the guidelines issued by the Ministry on 07 June, 2022.

7ण The user agency has deposited the amount of WLMP in view of the guidelines issued by the Ministry on 07.06.2022.

8ण State Government will comply with the Orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh issued on dated 13.01.2023 in CWPIL NO 13/2021 titled as

"Kusum Bali Vs States and others". Accordingly, NOC from PCB has been obtained & attached with the compliance report of DFO concern.

9ण State Govt. will comply Standard Operating Procedure (SoP) for environmental safeguards to be followed while constructing and operation of all Highway projects which are exempted up to 100 km from Line of Control or border issued by MoEF&CC vide letter no. IA3-22/40/2022-IA-III (E198668) dated 06.02.2023. Undertaking in this regard from DFO concern is attached with the compliance report as reported by DFO.

10ण The necessary rectification in the District profile in Part-II, will be done before Stage-II (final) approval. Undertaking in this regard is provided by the DFO concern.

11ण DFO concerned will re-verify the presence of Cedrus deodara in the proposed diversion areas and accordingly re-submit the enumeration list before Stage-II (final) approval. Undertaking in this regard from DFO concern is attached with the compliance report as reported by DFO.

12ण FRA Certificate along with all prescribed annexure including all records of consultations and meetings with Gram Sabha(s) and FRC(s) of concerned villages is attached with the compliance report of DFO concern.

13ण एफ0आर0ए0 2006 की पूर्ण अनुपालना संम्बन्धित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनि ि चत की जाएगी। इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

14ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तवित क्षेत्र के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर जंहा भी सम्भव होगा अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को रोपित किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

15ण संरक्षित क्षेत्रो/वन क्षेत्रों में नि चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियन साइनेज लगाए जाऐंगे। इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

16ण User agency will restrict the felling of trees to maximum 122 Trees in the diverted forest land and the trees will be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees will be deposited by the User Agency with the State Forest Department. The possibility to reduce the number of trees will be explored and the State Forest Department will constitute a Committee comprising Range Officer and Site Engineer In-charge and headed by the DFO concerned. The Committee will examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the RoW of road after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. DFO will submit the list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained within a period of two (2) months after execution of the project. The undertaking for the same duly authenticated by the concerned DFO is attached with the compliance report of Stage-I approval of concern DFO.

17ण इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम को लक्षित किया जाएगा। इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

18ण आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

19ण परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किये गए है।

20ण प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आव यकता नहीं है।

21ण केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

22ण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक ि ाविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।

23ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।

24ण संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्दे ानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

25ण परियोजना कार्य के निश्पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदंर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

26ण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

27ण केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।

28ण बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

29ण इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

30ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे ा/अनुदे ा आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

31ण अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

32ण इस सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता upload कर ली गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 20-12-2025 14:42:28

नोडल ऑफिसर एवं प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0